

Authorized English Translation

HARYANA GOVERNMENT
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 28th June, 2019

No. S.O. 41/H.A. 11/1994/S. 55/2019.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of the section 55 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994), the Governor of Haryana hereby excludes the Gram Panchayat Dhani Biran from block Bhiwani, district Bhiwani and includes in the block Tosham, district Bhiwani.

SUDHIR RAJPAL,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Development and Panchayat Department.

हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग
अधिसूचना
दिनांक 28 जून, 2019

संख्या कां०अं० 41/ह०अं० 11/1994/घं० 55/2019.— हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11) की धारा 55 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ग्राम पंचायत ढाणी बीरग को खण्ड भिवानी, जिला भिवानी से निकालते हैं तथा उसे खण्ड तोराम, जिला भिवानी में शामिल करते हैं।

सुदीप राजपाल,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।